

सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें



दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इन्स्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इन्स्टॉलेशनों से न्यूनतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी मवन/ढांचे/बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूनतम समतलदूरी/हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 कैंवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 कैंवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओं और बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

बीवाईपीएल ने दिल्ली को 1570 से अधिक रूफटॉप सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन से रोशन किया!

अब सौर क्रांति यहां है, और बीएसईएस इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है! पूर्वी और मध्य दिल्ली दिल्ली में 1570 से ज्यादा रूफटॉप सेलर नेट मीटरिंग इन्स्टॉलेशन किए गए हैं, जो 43 मेगावॉट से अधिक स्वच्छ, व अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं।

आइये, हम भविष्य को आकार देने में साथ चलें और रूफटॉप सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। सौर ऊर्जा से सजी हर छत की कहानी है—स्वच्छ हवा, कम बिजली बिल और हमारे समुदायों के लिए एक उज्ज्वल व अधिक टिकाऊ भविष्य।

स्थिरता की दिशा में पहला कदम उठाएं। मिलकर, दिल्ली को और अधिक चमकदार बनाएं—सौर ऊर्जा से।

रिच करना है आसान



मिस्ड कॉल करें
09871608800



लॉग ऑन करें
https://byplws.bsesdelhi.com:8890/



हमें कॉल करें
19122 (Ext. 9)



सुरक्षित तरीके से भुगतान कैसे करें

हमेशा अलर्ट रहें और अपने बिजली बिल का भुगतान बोनाफाइड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें

कंज्यूमर अलर्ट



	बीआरपीएल	बीवाईपीएल
बीएसईएस वॉट्सऐप	बस "HI" लिखें और उसे 8800919123 पर भेज दें	बस "HI" लिखें और उसे 8745999808 पर भेज दें
मोबाइल ऐप*	बीआरपीएल पावर ऐप	बीवाईपीएल कनेक्ट
वेबसाइट*	www.bsesdelhi.com	
ई-वॉलेट्स	पेटीएम/फोनपे/गूगलपे/अमेजॉन पे	
क्यूआर कोड	बिल पर छपा	
पे नाउ ऑप्शन	बिल पर छपा	



BSES की ओर से कंज्यूमर अलर्ट

ताकि बिजली बिल के भुगतान संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेज के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके

फीडबैक

अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फोन: 11-4124-7111/4124-9273, ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं



टोल फ्री 24x7
19122



एसएसएस
5616108



बिजली चोरी संबंधी
8588892156

बिजली गुल की शिकायत
8745999808



स्ट्रीटलाइट
41999808